

## अल्पकालिक निविदा

कार्यालय निदेशकः— हैनॉबॉग०विन०परिसर डॉ० बी०जी०आर० परिसर पौड़ी (पौड़ी)

विज्ञप्ति संख्या / 04 / निविदा 2024-25

दिनांकः— 05.08.2024

हेमवती नन्दन बहुगुणा गोविन्दी, बी०जी०आर० परिसर पौड़ी वर्ष 2024-25 के लिए पुरुष छात्रावास में भोजन आपूर्ति हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी विनिविदा की [www.hnbgu.ac.in](http://www.hnbgu.ac.in) के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म विनिविदा की वेबसाइट [www.hnbgu.ac.in](http://www.hnbgu.ac.in) से दिनांक 05.08.2024 से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

निदेशक कार्यालय में निविदाओं के शील्ड लिफाफे रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से परिसर निदेशक, डॉ० बी०जी०आर० परिसर पौड़ी गढ़वाल 246001 को दिनांक 16.08.2024 को 4 बजे तक प्राप्त होने चाहिए। निविदाओं को परिसर निदेशक द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समुख दिनांक 17.08.2024 को अपराह्न 1:00 बजे खोला जायेगा। निविदा लिफाफे के बाहर “छात्रावास मैस हेतु निविदा” लिखा होना आवश्यक है।

  
 परिसर निदेशक  
 परिसर पौड़ी  
 Campus Director  
 H.N.B.Garhwal University  
 (A Central University)  
 Dr.B.G.R.Campus Pauri  
 Pauri Garhwal(U.K)

  
 संयोजक/छात्रावास अधीक्षक  
 पुरुष छात्रावास, परिसर पौड़ी

कार्यालय निदेशक:- है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर डॉ बी०जी०आर० परिसर पौड़ी (पौड़ी)

विज्ञप्ति संख्या / 04 / निविदा 2024-25

दिनांक:- 05.08.2024

भोजन निविदा – प्रपत्र  
वित्तीय वर्ष-2024-25

निविदा प्रपत्र के चार भाग है।

(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें

(ख) साप्ताहिक मीनू

(ग) तकनीकी बिड

(घ) वित्तीय बिड

प्रपत्र (क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तेः—

1. डॉ०बी०जी०आर० परिसर की छात्रावास समिति की ओर से छात्र/छात्राओं की भोजन व्यवस्था हेतु छात्रावास मैस संचालकों निविदादाताओं/ठेकेदारों से पुरुष छात्रावास के लिए शील्ड निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदादाता को निविदा फार्म प्रपत्र (क), साप्ताहिक मीनू प्रपत्र (ख), तकनीकी बिड प्रपत्र (ग) के प्रत्येक पेज/पृष्ठ पर सहमति हस्ताक्षर कर उक्त से सम्बन्धित याचित प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों को ए-4 साईज लिफाफे के अन्दर रखकर शील्ड लिफाफा रजिस्टर्ड पोस्ट से परिसर निदेशक परिसर पौड़ी को जमा करना होगा। तथा वित्तीय बिड प्रपत्र (घ) का छोटा लिफाफा भी शील्ड कर जमा करना होगा। इस प्रकार निविदा के लिए एक बड़ा ए-4 साईज एवं एक छोटा लिफाफा शील्ड बन्द कर देना होगा, जिसके बाहर निविदा दाता का नाम पता एवं मोबाइल फोन० लिखना आवश्यक है।

2. निविदा प्रपत्र वि०वि० की [www.hnbgu.ac.in](http://www.hnbgu.ac.in) से डाउनलोड कर भरी हुई निविदा दिनांक 16.08.2024 सायं 4.00 बजे तक शील्ड लिफाफे में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से परिसर निदेशक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए।

3. निविदायें निदेशक द्वारा गठित मैस समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक 17.08.2024 को अपरान्ह 1 बजे खोली जायेंगी।

4. संलग्न निर्धारित मीनू के अनुसार पुरुष छात्रावास में भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी जिसमें सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि का भोजन शामिल होगा।

6. ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को भोजनालय में नियमित उपस्थित रहना आवश्यक होगा ताकि व्यवस्थागत अनुश्रवण के साथ -2 परिसर प्रशासन के सम्पर्क में रह कर किसी भी शिकायत का त्वरित निदान करवाया जा सके।

7. ग्रीष्मावकाश 2025 अथवा शैक्षिक सत्रान्त तक के लिए बिना किसी व्यवधान के भोजन की नियमित आपूर्ति करनी होगी।

8. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के साथ निविदा प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में ₹० 5000.00 का डिमाण्ड ड्राप्ट / बैंकर्स चैक जो निदेशक डॉ०बी०जी०आर० परिसर पौड़ी के पक्ष में सलंग्न करना होगा। न्यूनतम प्रथम या आबंटित निविदाओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राप्ट / एफ०डी०आर० अथवा बैंकर्स चैक धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

9. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर रु० 30,000 (रु० तीस हजार मात्र) कार्यपूर्ति राशि एफ०डी०आर/टी०डी०आर निदेशक है०न०ब०ग०विंवि० डॉ०बी०जी०आर० परिसर के नाम बन्धक बनाकर जमा करना होगा, साथ ही रु० 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा । सत्र आरम्भ अथवा छात्रावास में प्रवेशार्थियों के प्रवेश होने पर कार्यादेश / आफर लेटर जारी किया जायेगा । मैस आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस आरम्भ करनी अनिवार्य है ।
10. एफ०डी०आर० बन्धक राशि 30,000 (तीस हजार मात्र) जमा होने पर, निविदादाता को प्रतिभूति राशि रु० 5000.00 डिमाण्ड ड्राइट / बैंकर्स चैक निविदा दाता को वापस किया जायेगा ।
11. ठेकेदार को खाना बनाने के लिए बर्तन ईंधन/गैस भट्टी, गैस सलेन्डर अथवा मैस में काम आने वाले बर्तन (जैसे डोंगा, चम्मच, हाटकेश आदि प्रत्येक टेबल के हिसाब से ) एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री जैसे खाद्य/भोजन सामाग्री मीनू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी, दाल, चावल, आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी
12. ठेकेदार को अच्छे / उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य सामाग्रीयों का उपयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन / समय – 2 पर भोजन बनाने पूर्व किया जायेगा । निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामाग्री अच्छे / उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो ठेकेदार को सामाग्री बदलनी होगी ।
13. ठेकेदार को परिसर समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही प्रातः चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि के भोजन की आपूर्ति करनी होगी । परिसर प्रशासन द्वारा किसी समय और परिस्थिति के अनुरूप आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवस्थापक को दी जायेगी ।
14. ठेकेदार को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होंगे । (**पुरुष छात्रावास में 3 से 4 रखने होंगे**) इस हेतु परिसर द्वारा अलग से कोई सहायता देय नहीं होगी । कर्मचारी छात्रावास संचालन हेतु समय समय पर बनायें जाने वाले नियमों/दिशा निर्देशों का पालन करें । कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी क्षति एवं एवं अनुशासनहीनता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेदार होगा । अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त कर्मचारी का बिना कारण बतायें तुरन्त परिसर से बाहर कर दिया जायेगा । **मैस कर्मचारी निर्धारित ड्रेस पहनकर भोजन बनायेंगे तथा परोसेंगे** । छात्रावास में मैस कर्मचारियों की संख्या कम होने पर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन रु० 200.00 (दो सौ) की दर से अर्थदण्ड देना होगा ।
15. परिसर प्रशासन द्वारा ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय, डायनिंग हाल एवं स्टोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसकी स्वच्छता एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी । डायनिंग हाल में टूट–फूट एवं मरम्मत पर आने वाले व्यय का वहन ठेकेदार को ही करना होगा ।
16. बिजली एवं पानी की व्यवस्था परिसर प्रशासन की होगी, ठेकेदार को मैस में हीटर का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होगा । ठेकेदार को मैस का किराया रु० 2000.00 विधुत बिल का फिक्स किराया रु० 500.00 प्रति माह एवं पानी का फिक्स बिल रु० 1500.00 प्रतिमाह की दर से कुल रु० 4000.00 (चार हजार मात्र) प्रत्येक माह की 10 तारिख तक स्वयं कार्यालय में जमा करना होगा ।
17. अस्वस्थ छात्र/छात्राओं को खिचड़ी/दलिया इत्यादि जैसे भोजन की व्यवस्था निविदादाता (गैस संचालक) के द्वारा करनी होगी ।
18. भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देगा होगा । डायनिंग हाल की रोज पानी से धुलाई, शौचालय की सफाई करवानी होगी । बच्चा हुआ भोजन, जूठन, कूड़ा आदि नालियों में बहाकर गन्दगी नहीं फैलायी जायेगी । बच्चे भोजन को एकत्र कर परिसर से बाहर निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी ।

19. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना कान्ट्रेकट किसी दूसरे को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में कान्ट्रेकट तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही जमानत राशि जब्त की दी जायेगी ।
20. ठेकेदार को प्रत्येक माह छात्र/छात्राओं से भोजन धनराशि को अपने स्तर से लेना होगा
21. परिसर में अधिकारिक अवकाश एक सप्ताह से अधिक (शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश ) के दिनों में अनुपस्थित छात्रों से भोजन का बिल नहीं वसूला जायेगा ।
22. भोजन की दर अधिकतम रु0 150.00 प्रतिदिन प्रति छात्र निर्धारित की गयी है।
23. भोजन की दरें पूर्णरूप से रूपये में दी जाय, पैसे में अंकित की गयी दरें स्वीकार नहीं की जायेगी ।
24. संलग्न मैनू के अतिरिक्त यदि कोई निविदादाता अन्य सुविधा भी देना चाहता है तो उसका निविदा में स्पष्ट उल्लेख करें
25. निविदादाता द्वारा जिस दिन भोजन परोसने की गुणवत्ता में कमी पायी गयी तो उस दिन के छात्रावास समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।
26. निविदादाता को संलग्न मैनू के अनुसार ही अपनी भोजन दरें प्रतिदिन प्रति छात्र के लिये देनी होगी ।
27. निविदा स्वीकार होने पर संबंधित ठेकेदार को अनुबन्ध करना पड़ेगा और निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्ती व निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा ।
28. ठेकेदार को शासकीय नियन अनुसार आयकर एवं विक्रय कर स्वयं अपने स्तर से जमा करना होगा
29. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि परिसर में निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित सम्बन्धित कर्मचारियों के पतों के सत्यापन के साथ परिसर प्रशासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा , तथा किसी प्रकार का नशा या धुम्रपान, मंदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जायेगा छात्रावास अधीक्षक की शिकायत पर एक सप्ताह के नोटिस देने के बाद निविदा को निरस्त करने का अधिकार परिसर प्रशासन को होगा ।
30. भोजनालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से बनवाकर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी बदलने पर भी यही प्रक्रिया यही होगी। कर्मचारी बदलने पर लिखित सूचना परिसर छात्रावास कार्यालय को तत्काल देनी होगी
31. किसी विशेष परिस्थिति में मैनू के अनुसार भोजन /नाश्ता उपलब्ध न कराने अथवा गुणवत्ता युक्त न होने की स्थिति में वार्डन को रिपोर्ट के आधार पर भुगतान से कटौती की जायेगी और ऐसी गंभीर शिकायत तथा अव्यवस्था में तीन बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त कान्ट्रेकट निरस्त किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी ।
32. किचन में अग्नि सुरक्षा का अनुचित प्रबन्ध करने को जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। भोजन बनाते सावधानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है ।
- 33 .नालियाँ चोक होने पर तथा गड्ढे भरने पर नालियों/गड्ढे की सफाई आदि कार्य स्वयं ठेकेदार को अपने खर्च पर करना होगा ।
34. मैस मे ठेकेदार को अपना गीजर लगाना होगा ।
35. परिसर प्रशासन एक माह का नोटिस तथा मैस संचालक तीन माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं।
36. टेण्डर प्रक्रिया के दौरान एवं टेण्डर खुलने के बाद भी परिसर प्रशासन को टेण्डर निरस्त करने का अधिकार होगा ।
37. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगे कि मैस में कार्य करने वाले श्रमिक श्रम कानून के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नैस संचालक का होगा ।

38. फार्म के साथ निविदा दाता प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करें तथा निविदा खुलने के दिन निविदा दाता को नैतिक रूप से समिति के सन्मुख मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।

- (a) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त फूड वैध लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- (b) निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है अतः वैध (जी०एस०टी०पंजीकरण ) प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- (c) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह की अवधि के अन्तर्गत का हो ।
- (d) निविदादाता द्वारा आवासीय विद्यालय/सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान/शैक्षणिक संस्था में गत पांच वर्षों में मैस संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर भी प्रमाण पत्र में अंकित करें।
- (e) स्थायी आयकर संख्या (PAN CARD ) की छायाप्रति ।
- (f) कर निर्धारण विगत दो वित्तीय वर्षों का आयकर रिट्टन की प्रति संलग्न करनी होगी
- (g) निविदा फार्म के साथ प्रतिभूति (धरोहर ) राशि के रूप में ₹ 5000.00 का बैंक ड्राप्ट निदेशक है०न०ब०ग०वि०वि० पौड़ी के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है ।
- (h) निविदादाता के पास मैस संचालन कार्यों में पिछले 03 वर्षों का न्यूनतम टर्नओवर सत्यापित होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इस हेतु सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट एवं टर्नओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
- (i) निविदादाता की फर्म किसी भी सरकारी/आवासीय विद्यालय/शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए इस आशय का नोटरी द्वारा शपथ पत्र निविदादाता द्वारा 100 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा ।
- (j) यदि निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गयी खाद्य सामग्री के सेवन से किसी छात्र/छात्रा को स्वास्थ का नुकसान होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इस आशय का शपथ पत्र 100 रु० के स्टाम्प पेपर देना होगा ।
- (k) यदि निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के साथ जो प्रपत्र संलग्न किये गये हैं यदि वे प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी (निविदादाता की ) इस आशय का शपथ पत्र 100 रु० के स्टाम्प पेपर देना होगा । यदि निविदादाता के उक्त प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो भविष्य में ऐसे निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा ।

**नोट:-** निविदादाता को कम संख्या, i,j,k तक के शपथ पत्रों को एक ही स्टाम्प पेपर पर दिया जा सकता है ।

**प्रपत्र (ख) 2024–2025**  
**कार्यालय निदेशकः— है०न०ब०ग०वि०परिसर पौड़ी**  
**छात्रावास भोजन मैन्यू**

दिन / वार	नाश्ता	दोपहर भोजन	सायं 4 बजे	रात्रि भोजन
रविवार	उबले आलू, टमाटर की सब्जी तथा रोटी एवं पूरी चाय	राजमा, चावल, रोटी, सब्जी खीर, सलाद	सायं की चाय के साथ सिनेक्स बिस्कुट	मल्का दाल, आलू न्यूट्री की सब्जी, रोटी चावल सलाद
सोमवार	आलू गोभी परांठा अचार, दही चाय	दाल मखनी, चावल रोटी सब्जी खीरा सलाद	प्रतिदिन	दाल अरहर आलू गोभी या आलू शिमलार मिर्च की सब्जी, रोटी चावल सलाद
मंगलवार	छोले( कावली चना ) सादा पराठा चाय	कड़ी चावल, रोटी, सब्जी, सलाद	प्रतिदिन	उड़द छिलका दाल, भिण्डी की सब्जी चावल रोटी सलाद
बुद्धवार	छोले भट्ठरे चाय	काला चना पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी चावल सलाद	प्रतिदिन	शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर आलू बीन्स की सब्जी रोटी चावल सलाद
बृहष्पतिवार	आलू गोभी मूली के परांठा अचार दही	उड़द राजमा मिक्स दाल, चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी, सलाद	प्रतिदिन	मसूर की दाल आलू न्यूट्री की सब्जी रोटी चावल सलाद
शुक्रवार	उवले आलू टमाटर एवं पनीर की सब्जी, रोटी एवं पुरी चाय	मिक्स दाल आलू बैंगन की सब्जी रोटी चावल सलाद	प्रतिदिन	काला चना पत्ता गोभी की सब्जी चावल सलाद
शनिवार	आलू मटर की (गाढ़ी ग्रेवी) की सब्जी सादा परांठा चाय	अरहर दाल, आलू पालक की सब्जी रोटी चावल, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड़द चना बैंगन भर्ता चावल रोटी सलाद

नोट:- 1- प्रत्येक बुद्धवार को रात्रि भोजन में (शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर)

2- मैन्यू में सब्जियां मौसम के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है, किन्तु यह परिवर्तन तभी मान्य होगा जब मैन्यू में दी गयी सब्जी बाजार में उपलब्ध न हो ।

3- प्रत्येक दिन सलाद में मूली, घ्याज, गाजर या खीरा या अन्य सामाग्री जो बाजार में उपलब्ध हो अनिवार्य रूप से देनी होगी ।

4 - छात्र/छात्रा की वीमारी की दशा में खिचड़ी या दलिया उपलब्ध करना होगा ।

5- सुबह नाश्ते के साथ चाय तथा सायं 4 बजे प्रतिदिन अच्छी किस्म की चाय देनी होगी ।

6- सब्जी प्रति दिन बदल बदल कर बनानी होगी ।

7. उपवास लेने वाले छात्रों को प्रतिदिन के शुल्क के हिसाब से फल एवं दूध देना आवश्यक हैं ।

**प्रपत्र – (ग) 2024–2025**  
**कार्यालय निदेशकः— है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर पौड़ी ।**  
**तकनीकि बिड**

1. निविदादाता का नाम.....
2. पता.....  
फोन न० कार्यालय..... मोबाइल न०.....
3. फर्म का नाम व पता.....  
.....
4. व्यापार कर प्रमाण पत्र (G-S-T Number).....  
(नियम शर्तों के अनुसार कर भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
- 5— रथाई आयकर खाता संख्या (PAN NO)-----  
-----
- 6— धरोहर राशि का विवरण  
(क) बैंक ड्राफ्ट / एफ०डी०आर० न० / चैकर्स चैक.....  
(ग) धनराशि .....
7. कार्य अनुभवः— (नियम शर्तों के अनुसार).

संलग्न का विवरण

- |    |    |
|----|----|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |

दिनांकः

:

हस्ताक्षर  
निविदादाता का नाम  
व पूरा पता:

**प्रपत्र – (घ)**  
**कार्यालय निदेशकः– है०न०ब०ग०विंविंपरिसर पौड़ी**  
**वित्तीय बिड 2024–2025**

महोदय,

मैं निविदादाता परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन की आपूर्ति हेतु सहमत हूँ। अतः प्रातः कालीन नाश्ते से सुबह की चाय लेकर रात्रि तक की भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन की दर निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं शर्तों का भली भाँति अध्ययन कर लिया गया है।

इकाई	दर प्रति छात्र, प्रतिदिन (दर पूर्ण रूपये में दी जाय)
दर प्रति छात्र, प्रतिदिन,	रूपये (अंकों में)..... शब्दों में.....

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता.....

नामः—

पता:-

मोबाइल नॉ:-

कार्यालय निदेशक:- है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर पौड़ी  
 वित्तीय बिल 2024–2025  
वित्तीय निविदा / कोटेशन

सेवा में

परिसर निदेशक  
 बी०जी०आर० परिसर पौड़ी  
 गढ़वाल।

मैं मैसर्स.....पता.....  
 छात्रावास मैस.....हेतु प्रतिदिन भोजन की दर निम्न प्रकार से देने की अपनी सहमति देता हूँ।

क्र०स०	छात्रावास का नाम	परिसर द्वारा निर्धारित भोजन की दर प्रतिदिन	मैस संचालन द्वारा प्रस्तावित भोजन की दर प्रतिदिन
		₹० 150.00	

भवदीय

मैसर्स.....  
 पता.....  
 मोबाइल न०.....